इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर 2022—भाद्र 30, शक 1944

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2022

क्र. एफ 22-12-2015-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 22-12-2015-आठ, दिनांक 23 मई, 2015 जिसमें वास्तविक कृषकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित ऐसे ट्रेक्टर अनुयान और हारवेस्टर कम्बाइन यानों पर, जो आगामी तीन वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत कराए जाएंगे उन पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहणीय जीवनकाल कर की दर को 6% से 1% किया गया था. पुनः विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 22-12-2015-आठ, दिनांक 2 जनवरी, 2019 द्वारा यानों की उक्त श्रेणियों के संबंध में कर की रियायत जिसका अवसान 22 मई, 2018 को हो गया था, को विस्तारित कर आगामी दो वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 22 मई, 2020 तक के लिये तथा अधिसूचना क्र. एफ 22-12-2015-आठ, दिनांक 28 अप्रैल, 2021 द्वारा 23 मई, 2020 से आगामी दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी किया गया था जिसका अवसान 22 मई, 2022 को हो गया है.

अतएव, राज्य सरकार यानों की उक्त श्रेणियों के संबंध में कर की रियायत दर के उद्ग्रहण को आगामी दो वर्ष की अवधि के लिए और विस्तारित करती है जो कि दिनांक 23 मई, 2022 से प्रभावी हुई समझी जाएगी.

No. F 22-12-2015-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, had previously issued a departmental Notification No. F 22-12-2015-VIII dated 23rd May, 2015 in which such Tractor Trailer and Harvester combine vehicles which were owned by the persons other than bonafide agriculturists intended to be used for agricultural purpose and which were going to be registered in the State of Madhya Pradesh during the next three years, the leviable life time tax was reduced from 6% to 1% under sub-section (1) of Section 3 of the said Adhiniyam. Again by the departmental Notification No. F 22-12-2015-VIII dated 2nd January, 2019 relaxation in levying of tax of said categories of vehicles which had expired on 22nd May, 2018 was extended and made effective for a period of next two years *i.e.* dated 22nd May, 2020 and further by Notification No. F 22-12-2015-VIII dated 28th April, 2021 it was extended and made effective for a period of two years with effect from 23rd May, 2020 which has expired on 22nd May, 2022.

Now, therefore, the State Government hereby further extends the levying of relaxed rate of tax on the said categories of vehicles for a period of two years which shall deemed to be effective from 23rd May, 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.